भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 6171

जिसका उत्तर 01 अप्रैल, 2026 को दिया जाना है

पेद्दापल्ली में खनन पट्टों का नवीनीकरण

6171. श्री वामसि कृष्णा गद्दामः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) संशोधित खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत पेद्दापल्ली में कोयला खनन कार्य हेतु संसाधित विशिष्ट खनन पट्टा नवीकरण और नये आवंटनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पेड्डापल्ली खनन क्षेत्रों में कोयला भंडार मूल्यांकन और उत्पादन अनुकूलन हेतु राष्ट्रीय खनिज सूचना केन्द्र (एनएमआईसी) डाटा संग्रहण एवं निगरानी प्रणाली के कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है;

(ग) पेद्दापल्ली लोक सभा क्षेत्र में खदान बंदी योजनाओं, पर्यावरणीय पुनर्स्थापन और सामुदायिक पुनर्वास कार्यक्रम सहित कोयला खनन कार्यों के अंतर्गत अनिवार्य सतत खनन पद्धतियों के प्रवर्तन का ब्यौरा क्या है;

(घ) पेद्दापल्ली के कोयला खनन प्रभावित क्षेत्रों में अवसंरचना विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका कार्यक्रमों हेतु जिला खनिज प्रतिष्ठान (डीएमएफ) निधियों के आवंटन एवं उपयोग का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त क्षेत्र की खनिज-समृद्ध भू-वैज्ञानिक संरचनाओं में नए कोयला भंडारों की पहचान और महत्वपूर्ण खनिज भंडारों की संभावनाओं के आकलन हेतु भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं अन्वेषण गतिविधियों की प्रगति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला एवं खान राज्य मंत्री

(श्री सतीश चन्द्र दुबे)

(क) : विशिष्ट खनन पट्टे के नवीनीकरण का विवरण नीचे दिया गया है और पेद्दापल्ली में खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत कोई नया आवंटन नहीं किया गया है:

क.सं.	खनन पट्टे का नाम	पट्टा क्षेत्र (हेक्टेयर)	वर्तमान स्थिति
1	पांडुलापल्ली एम.एल	3657.69	नवीनीकरण पूरा हो गया है, एमसीआर-2021 के अनुसार जीओ.एमएस.नं.12, दिनांक 26.05.2022 के माध्यम से खनन पट्टा 18.07.2041 तक बढ़ाया गया है।
2	मेडिपल्ली एमएल	1643	नवीनीकरण पूरा हो गया है, खनन पट्टा एमसीआर-2021 के अनुसार दिनांक 02.06.2022 जीओ.एमएस. संख्या 13 के तहत 15.12.2041 तक बढ़ा दिया गया है।
3	दक्षिण गोदावरी अतिरिक्त एमएल (एसजीएएमएल) का प्रथम नवीनीकरण	1554	एमसीआर-2021 के अनुसार दिनांक 15.07.2025 के जीओ.एमएस. संख्या 25 के तहत खनन पट्टा 16.09.2055 तक बढ़ाया गया है।

(ख) : पेद्दापल्ली खनन क्षेत्रों में कोयला भंडारों के आकलन और उत्पादन इष्टतमीकरण के लिए कोई राष्ट्रीय खनिज सूचना केन्द्र (एनएमआईसी) आंकड़ा संग्रहण और निगरानी प्रणाली नहीं है।

(ग) : पेद्दापल्ली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में अब तक सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) द्वारा प्रचालित 23 कोयला खानें हैं। एससीसीएल अनुमोदित खनन योजनाओं और खान बंद करने की योजना के अनुसार इन खानों में चरणबद्ध तरीके से खान बंद करने की

कार्यकलापों को कार्यान्वित कर रहा है। एससीसीएल खानों में खनन कार्यों की शुरुआत से ही खान बंद करने की योजना को सख्ती से कार्यान्वित किया जा रहा है। इन योजनाओं में व्यवस्थित भूमि सुधार, खानों की सुरक्षित और वैज्ञानिक सीलिंग और खनन के बाद संधारणीय भूमि उपयोग पद्धतियां शामिल हैं।

पर्यावरणीय पुनरूद्धार उपाय जिनमें बड़े पैमाने पर वनीकरण, मृदा स्थिरीकरण, जल निकायों की बहाली और वायु, जल और शोर को शामिल करते हुए व्यापक प्रदूषण नियंत्रण शामिल हैं, जो पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए)/पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) और पर्यावरण मंजूरी (ईसी) के अनुसार किए जा रहे हैं। नियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित मानकों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर तीसरे पक्ष के ऑडिट के साथ नियमित ईआईए संचालित किए जा रहे हैं।

एससीसीएल स्थानीय समुदाय के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण (आजीविका का वैकल्पिक स्रोत), इको-पर्यटन विकास, वनस्पति और जीव संरक्षण/वन्यजीव संरक्षण, जल संसाधन प्रबंधन/संरक्षण, स्वच्छ जल की आपूर्ति, स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना, महिला सशक्तिकरण, स्वच्छता आदि जैसी गतिविधियों को खान बंदी गतिविधियों के हिस्से के रूप में सामुदायिक पुनर्वास कार्यकलापों को भी शुरू कर रहा है। एससीसीएल ने इन 23 खानों के जीवनकाल के दौरान उपरोक्त गतिविधियों के लिए लगभग 600 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं।

(घ) : एमएमडीआर अधिनियम और जिला खनिज प्रतिष्ठान (डीएमएफ) नियमों के अनुसार खनन कंपनियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अधिसूचित दर पर डीएमएफ न्यास के लिए निधि का अंशदान करें। डीएमएफ निधियों के उपयोग की निगरानी डीएमएफ न्यासों और डीएमएफ अधिकारियों द्वारा की जाती है।

(ङ) : वर्तमान में, पेद्दापल्ली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में नए कोयला संसाधनों को चिन्हित करने और महत्वपूर्ण खनिज भंडारों की संभावना का आकलन करने के लिए सीएमडीपीआईएल द्वारा कोई अन्वेषण कार्यकलाप नहीं किए जा रहे हैं।
